

# राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान

( भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद )

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

सैक्टर-८, द्वारका, नई दिल्ली-११००७७



NATIONAL INSTITUTE OF MALARIA RESEARCH

(Indian Council of Medical Research)

Department of Health Research

Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India

Sector 8, Dwarka, New Delhi-110 077

संख्या-2/77/2012-13/भंडार 1184

दिनांक 24.04.2018

मैसर्स ललित एडवरटाईजिंग

अशोका टॉवर, सी ब्लॉक

10 कम्युनिटी सेंटर

जनकपुरी, नई दिल्ली

ध्यानाकर्षण :- श्री राघव जैन

विषय :- सार्वजनिक नीलामी हेतु एनआईएमआर के विज्ञापन के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अनुरोध है कि हम इस पत्र के साथ ही हिन्दुस्तान-हिन्दी (नई दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में सिंगल इंजर्शन में दिनांक 26 अप्रैल 2018 या इससे पूर्व प्रकाशन हेतु भेज रहे हैं:-

अनुरोध है कि आप अपने पूर्व-रसीदी बिल (दो प्रतियों में) के साथ प्रकाशित विज्ञापन की प्रमाणित प्रति को भेजें ताकि इसके भुगतान की व्यवस्था की जा सके।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

धन्यवाद,

भवदीय

(के.सी. सेहरा)

अनुभाग अधिकारी (भंडार)

सलग्न: उपर्युक्त

प्रतिकृति - लेखा विभाग

आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान  
सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077

निविदा सूचना

सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 मई 2018 को मध्याह्न 12 बजे राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली -110077 के कार्यालय परिसर में पुराने बेकार उपस्करों, कम्प्यूटर, पेरीफेरेल्स और फर्नीचर इत्यादि की नीलामी की जाएगी।

उपर्युक्त के संबंध में इच्छुक बोलीदाता प्रतिभूति राशि 5000/- रुपये नगद जमा करवाने के पश्चात् उपरोक्त उपस्करों हेतु बोली लगा सकते हैं। उपस्करों की बिक्री 'जैसा है जहां है' के आधार पर की जाएगी। उल्लेखित राशि दिनांक 10 मई 2018 को पूर्वान्ह 10.30 से 11.30 बजे तक ही जमा करा सकते हैं। बोलीदाता कृपया अपना आधार कार्ड एवं पैन (PAN) कार्ड साथ में लाएं, अन्यथा वह नीलामी की बोली में शामिल नहीं हो सकते हैं।

उक्त उपस्करों का निरीक्षण बोलीदाताओं द्वारा उल्लेखित पते पर दिनांक 8-9 मई 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किया जा सकता है।

नीलामी के पश्चात् राशि का पूरा भुगतान बैंक ड्राफ्ट रूप में करना होगा और बेचे गए सभी उपस्करों को तुरंत हटाना होगा। निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के पास बिना कोई कारण बताए नीलामी को पूर्ण रूप से अथवा भाग को स्थगित अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

निदेशक